<u>प्रकरण संख्या 32/2012 किशनसिंह बनाम रतनलाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.02.2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 8 व 9 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकामात को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है तथा आवेदन में यह वर्णित नहीं किया है कि तीनों रेस्पोन्डेन्ट की मृत्यु कब हुई। उसके द्वारा कथन यह किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा जानकारी किये जाने पर उन्हें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 8 व 9 की मृत्यु की जानकारी हुई। इससे पूर्व उन्हें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 8 व 9 की मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवेदन के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन पेश किया गया, जिसमें भी तीनों रेस्पोन्डेन्ट के मरने की जानकारी उसे दिनांक 19.01.2016 को रेस्पोन्डेन्ट के अधिवक्ता द्वारा जानकारी दिये जाने पर होने का कथन किया है। उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि दिनांक 01.08.2012 की आदेशिका में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। इसके बाद दिनांक 17.12.2012, 20.05.2013 19.08.2013, 18.11.2013, 10.02.2014 तथा निरन्तर अनेकानेक पेशियों पर रेस्पोन्डेन्ट के कायम मुकाम संस्थित करने के अवसर दिये गये हैं तथा आवेदन द्वारा दिनांक 22.03.2016 को कायम मुकाम का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि उसे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के मरने की जानकारी दिनांक 01.08.2012 को हो चुकी थी तथा उसके बाद निरन्तर उसे कायम मुकाम पेश किये जाने के लिए करीब 3½ वर्ष का समय दिया गया है। इसी प्रकार जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 पूंजा का प्रश्न है, दिनांक 01.08.2012 के लिये जारी नोटिस दिनांक 06.06.2012 में यह स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि रेस्पोन्डेन्ट पूंजा की मृत्यु हो चुकी है। तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की मृत्यु वर्ष 2012 में हो जाने बाबत् तथ्य भी पूर्वता पत्रावली के रेकार्ड पर होकर अपीलान्ट के प्रसंज्ञान में होना माने जाने में कोई संशय नहीं है।	

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 का प्रश्न है, यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ है अर्थात उसकी मृत्यु की अपीलान्ट को पश्चातवर्ती जानकारी हो सकती है, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 8 के सन्दर्भ में यह सुस्पष्ट स्थिति है अपीलान्ट को वर्ष 2012 में ही जानकारी हो चुकी थी, परन्तु उसके द्वारा विहित अवधि में आवेदन पेश नहीं किया गया है तथा आवेदन आदेश 22 नियम 4 के तहत ही पेश किया गया है, अबेटमेन्ट निरस्त कराने बाबत् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दफा 5 जाब्ता मियाद का भी जो आवेदन पेश किया है उसमें त्रुटि पूर्ण, भ्रामक एवं मिथ्या तथ्य अंकित किये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों से पृथक जाकर यह आधार लिये हैं कि उसे दिनांक 19.01.2016 से पूर्व जानकारी नहीं थी, भ्रामक एवं मिथ्या हैं।

वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा खण्डन के जवाब में यह भी वर्णित किया गया है कि रेस्पोन्डेन्ट के अन्य वारिसान भी उपलब्ध हैं। अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 8 के मरने के 3 वर्षो तक जब कायम मुकाम संस्थित नहीं कराये तथा जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें उपशमन का कोई आवेदन नहीं दिया है तथा दफा 5 का आवेदन भी मिथ्या प्रस्तुत किया है, तद्नुसार यह स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 8 के विरूद्ध कार्यवाही अबेट हो जाती है। इस प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का आवंटन निरस्त किया गया है तथा उक्त आवंटन निरस्ती के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 8 के विरूद्ध जब कार्यवाही एबेट हो जाती है तो उनके लिए यह भूमि निसंदेह आवंटन निरस्ती के बाद बिलानाम भूमि के रूप में रहेगी, तो फिर ऐसे प्रकरण में जहां पर मांगा गया अनुतोष प्रभावी रूप से अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता, तदुनसार अपील समग्र रूप से अबेट होगी, क्योंकि कुछ रेस्पोन्डेन्ट के लिए भूमि बिलानाम हो तथा कुछ के लिए नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अतएवं अपील अपीलान्ट अबेट होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर